न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/91/2023	2023/414	26.07.2023	24.12.2025

1. रामजीलाल पुत्र सूंसला जाति माली निवासी गुजूकी तहसील व जिला अलवर राज0।

—अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार अलवर, जिला अलवर (राज0)

——प्रत्यर्थी

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार अलवर दिनांक 10.10.2020 प्र.सं. 78/20

उपस्थितः—

01—श्री रामबहादुर सिंह तंवर —वकील अपीलार्थी

02—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील प्रत्यर्थी

—:निर्णयः—

यह अपील अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 10.10.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश के माध्यम से अपीलार्थी को ग्राम गूजूकी के हाल आराजी खसरा नम्बर 84/1365 रकबा 0.40 हैक्टेयर व खसरा नंबर 611 रकबा 1.45 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय (सिवायचक) की भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखली एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया।

विद्वान वकील अपी0 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आज्ञा दिनांक 15.10.2020 को पारित की गई है। जिस आदेश की जानकारी अपीलांट को नहीं हो पाई थी। अपीलांट की बहस सुनने के बाद निर्णय रिजर्व रखा गया। कोविड—19 के चलते मिन अपीलांट बार—बार आकर अदालत मातहत से निर्णय की जानकारी नहीं कर पाया क्योंकि प्रार्थी की उम्र 79 साल है। अपीलांट अक्सर बीमार रहता है। कोविड—19 के कारण आना जाना बंद हो गया है। दिनांक 07.12.2020 को अपीलांट निर्णय की बाबत पता करने आया तो बताया कि तुम्हारा निर्णय दिनांक 15.10.2020 को हो गया था। उसी वक्त नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल दिनांक 09.12.2020 को प्राप्त हुई। जानकारी की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। ऐतिहात के तौर पर दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नं. 611 साबिक खसरा नं. 232 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम गुजुकी तहसील व जिला अलवर पर अपीलांट बुजुर्गों के समय से अरसा करीब 45—50 साल से काबिज चला आ रहा है तथा उक्त आराजी को अपीलांट काबिज रहकर बुजुर्गों के समय से काश्त करता चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी अपीलांट उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त कर रहा है। उपरोक्त आराजी को पूर्व में आवंटन कमेटी के द्वारा गलत प्रकार सेना किसी कब्जे व आधार के जुम्मा पुत्र टैणी को आवंटित कर दिया गया था। उक्त आवंटन के खिलाफ अप्रार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर अलवर राजस्थान के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी। उक्त न्यायालय के द्वारा अप्रार्थी की उक्त अपील को स्वीकार फरमाया जाकर अपीलांट का कब्जा एवं काश्त मानकर उक्त गलत तरीके से किये गये जुम्मा पुत्र टैणी के आवंटन को निरस्त करने के आदेश फरमा दिये गये थे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

पूर्व में दिनांक 20.03.1995 को तहत अदालत द्वारा उक्त आराजी सा.ख.नं. 232 मिन रकबा 4 बीघा अपीलांट के हक में रेग्युलाईज किये जाने की सिफारिश कर एसडीएम अलवर को प्रेषित की गई। अपीलांट का पुराना कब्जा है। अपीलांट बराबर पेनेल्टी अदा कर रहा है। खसरा परिवर्तनशील में अपीलांट का नाम बदस्तूर दर्ज हो रहा है। अपीलांट अपनी खातेदारी में स्थित बोरिंग से पाईप लगाकर सिंचाई कर रहा है।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर अलवर राजस्थान के उक्त आवंटन निरस्त आदेश दिनांक 05.12.1983 के खिलाफ जुम्मा पुत्र टैणी के द्वारा राजस्व अपील अधिकारी अलवर के न्यायालय में अपील पेश की गई थी, जिस अपील को न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर के द्वारा दिनांक 23.05.1985 को अपीलांट का कब्जा व काश्त मानते हुए खारिज फरमा दिया गया था। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के आदेश के विरूद्ध में जुम्मा पुत्र टैणी के द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की गई थी। जिस अपील को न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान के द्वारा दिनांक 09.12.1991 को अपीलांट का कब्जा व काश्त मानते हुए खारिज कर दिया गया था। अपीलांट के हक में रेगुलाईजेशन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली श्रीमान् उप जिलाधीश महोदय अलवर राजस्थान को प्रेषित की गई थी, जो कि वर्तमान में विचाराधीन है। अप्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी से लगती हुई, कई बीघा जमीन सिवायचक पड़ी हुई है। यदि स्थानीय प्रशासन को किसी कार्य के लिए भूमि की आवश्यकता है, तो अपीलांट को कब्जे काश्त की उक्त भूमि के अलावा जो भूमि खाली पड़ी है, उसमें से बिना किसी विवाद व अवरोध के अधिग्रहित कर उपयोग में ली जा सकती है। अपीलांट द्वारा कोई नाजायज अतिक्रमण नहीं किया गया है। जो कि अदालत मातहत ने गौर नहीं किया।

मिन अपीलांट को गवाह सबूत का कोई मौका नहीं दिया गया और आज्ञा जेर अपील पारित की गई है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि आज्ञा दिनांक 15.10.2020 निरस्त की जाकर आराजी हाल ख.नं. 611 रकबा 4 बीघा अपीलांट के हक में रेग्युलाईज की जाने की आज्ञा सादिर की जावे।

रेस्पो0 की ओर से राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 611 साबिक नंबर 232 रकबा 4 बीघा बारानी–2 है जो सरकारी (सिवायचक) आराजी है, अपीलान्ट को सरकारी आराजी पर अतिक्रमण का कोई अधिकारी नहीं है। पटवारी हल्का भजीट की रिपोर्ट से स्पष्ट साबित होता है कि अपी0 द्वारा उक्त आराजी पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि उक्त आराजी नवीन पंचायत भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित है व राजस्व रिकॉर्ड में जनोपयोगी प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि है। अपी0 पूर्व में भी अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल करने के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं छोड़ा। विवादित आराजी को नियमन नहीं किया गया है। अपीलान्ट का लगातार पुराना कब्जा होना प्रमाणित नहीं है। अपी0 द्वारा पूर्व में भी अतिक्रमण किया था, जिसे बेदखल करने के बावजूद भी पुनः अतिक्रमण किया है, जो कि पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। तहत अदालत को अपीलीय आदेश यथावत रखा जावें। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.10.2020 के विरूद्व दिनांक 15.12.2020 को पेश की गयी है जो कि 02 माह के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

24/12/25

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकुलाय की बहस पर चिन्तन–मनन किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी उक्त आराजी पर पिछले 45–50 वर्षों से काबिज है और खेती कर रहा है। पूर्व में इस भूमि का आवंटन जुम्मा पुत्र टैणी को किया गया था, जिसे अतिरिक्त कलक्टर, राजस्व अपील अधिकारी और राजस्व मण्डल द्वारा निरस्त कर दिया गया था और अपीलार्थी के कब्जे की पुष्टि की गई थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आराजी के नियमन (Regularization) की सिफारिश पूर्व में की जा चुकी है जो अभी विचाराधीन है। उनका मुख्य तर्क है कि पास में अन्य सिवायचक भूमि खाली पड़ी है, अतः प्रशासन उसका उपयोग करे और अपीलार्थी के पुराने कब्जे को न छेड़ें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने विरोध करते हुए तर्क दिया कि विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में 'सिवायचक' (सरकारी) दर्ज है। पटवारी हल्का भजीट की मौका रिपोर्ट के अनुसार, यह भूमि "नवीन पंचायत भवन" के निर्माण हेतु प्रस्तावित है, जो कि एक जनोपयोगी कार्य है। राजकीय अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी ने पूर्व में भी इस भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे हटा दिया गया था। इसके बावजूद अपीलार्थी ने पुनः अतिक्रमण कर लिया है। अतः अपीलार्थी कानून की दृष्टि में 'पश्चात्वर्ती अतिक्रमी' की श्रेणी में आता है। सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जे को मात्र पुराने होने के आधार पर वैध नहीं ठहराया जा सकता, विशेषकर जब भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित हो।

न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश और पटवारी रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में 'सिवायचक' है। सिवायचक भूमि राज्य सरकार की संपत्ति होती है। पटवारी रिपोर्ट यह पुष्टि करती है कि उक्त भूमि वर्तमान में "नवीन पंचायत भवन" निर्माण हेतु प्रस्तावित है। अपीलार्थी का यह तर्क कि उसका कब्जा पुराना है, उसे सरकारी भूमि पर स्थायी अधिकार नहीं देता। अपीलार्थी को पूर्व में भी बेदखल किया जा चुका था, लेकिन उन्होंने पुनः कब्जा कर लिया। यह कृत्य अपीलार्थी को 'आदतन/पश्चात्वर्ती अतिक्रमी' की श्रेणी में लाता है। कानून ऐसे व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति नहीं रखता जो बार–बार सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करते हैं। जहाँ तक नियमन के विचाराधीन होने का प्रश्न/तर्क है, तो विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि "जनोपयोगी प्रयोजन" के लिए आरक्षित भूमि (जैसे पंचायत भवन, रास्ता, चारागाह) पर किए गए अतिक्रमण का नियमन नहीं किया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय (जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य) ने भी स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि से अवैध कब्जे हटाए जाने चाहिए। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत सरकारी भूमि पर बिना सक्षम स्वीकृति के कब्जा करना अवैध है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2020 विधिक एवं तथ्यपूर्ण है। अपीलार्थी एक 'पश्चात्वर्ती अतिक्रमी' है और जनोपयोगी कार्य (पंचायत भवन) हेतु आरक्षित सरकारी भूमि पर उसका कब्जा बना रहना विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई उचित आधार नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 10.10.2020 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)